D.I.O
कार्यालय कलेक्टर
बालोद (छ.ग.)
11 SEP 2017
कले० अपर कले० अधी०

छत्तीसगढ़ शासन
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक– 31 अगस्त, 2017

एफ 4–12/56/2017/इसूप्रौ/ राज्य शासन एतद्द्वारा, 'छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना' (स्काई) अधिसूचित करता है–

आवक क्र 3392 23/09/17

1. **योजना का नाम – "छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना"** (स्काई) होगा। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार, शहरी गरीब परिवार एवं कॉलेज के युवाओं को निःशुल्क मोबाईल फोन उपलब्ध कराये जाएंगे। परिवार में महिला होने की स्थिति में महिला को ही मोबाईल वितरीत किया जाएगा।

2. **योजना का उद्देश्य**– छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं–

2.1 राज्य के मोबाइल कनेक्टिविटी से असंबद्ध विभिन्न क्षेत्रों में मोबाईल कनेक्टिविटी प्रदाय करने का प्रयास।

2.2 स्मार्ट फोन के उपयोग के माध्यम से राज्य में आर्थिक गतिविधि बढ़ाना।

2.3 मोबाइल के उपयोग से जेंडर सशक्तिकरण का कार्य करना।

2.4 जन धन, आधार और स्मार्टफोन के माध्यम से सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के व्यापक स्तर पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण लागू करना।

2.5 डिजिटल भुगतान और पहुँच के माध्यम से वित्तीय समावेश एवं बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करना।

2.6 सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के माध्यम से ऑनलाईन सेवाएं उपलब्ध कराना।

2.7 नागरिक, स्मार्ट फोन का उपयोग शासन में साझेदारी, शासकीय और निजी सेवाओं तक पहुँच के लिए कर सकें ।

3. योजना की अवधि–

3.1 यह योजना दो चरणों में क्रियान्वित की जाएगी।

3.2 योजना के प्रथम चरण में वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में 1000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी ग्रामीण परिवारों तथा 1000 से कम जनसंख्या वाले ऐसे सभी गांव जहां मोबाईल कवरेज पूर्ण या आंशिक रुप से उपलब्ध है, के ग्रामीण परिवारों, शहरी गरीब परिवारों एवं कॉलेज के युवाओं को स्मार्ट फोन प्रदान किया जाए।

3.3 योजना के द्वितीय चरण में वर्ष 2019–20 में 1000 से कम जनसंख्या वाले ऐसे गांव जहां मोबाईल कवरेज उपलब्ध नही है, के सभी ग्रामीण परिवारों को स्मार्ट फोन प्रदान किया जाए।

3.4 परिवार में महिला होने की स्थिति में महिला को ही मोबाईल वितरीत किया जाएगा।

4. योजना का स्वरूप –

4.1 योजना में प्रत्येक ग्रामीण परिवार की महिला प्रमुखों, शहरी गरीब परिवार की महिला प्रमुखों और कॉलेज के युवाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए मोबाइल फोन वितरित किये जाएंगे।

4.2 दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा स्वयं के खर्च पर नेटवर्क विस्तारित करने का प्रयास किया जायेगा।

4.3 जिस हितग्राही को स्मार्ट फोन वितरित किया जाएगा, उसका फोन–नंबर पूर्व आवंटित होगा, यह आधार और बैंक खाता से भी जुड़ा होगा। इससे हितग्राही, फोन निरन्तर रखने हेतु प्रोत्साहित होगा।

4.4 राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाईल मरम्मत और रखरखाव का स्वरोजगार विस्तारित होगा।

4.5 योजना का क्रियान्वयन पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से क्रियान्वयन एजेंसी चिप्स द्वारा किया जाएगा।

5. योजना की लागत/बजट–

5.1 योजना की अनुमानित लागत रु. 1230 करोड़ होगी।

5.2 योजना हेतु आवश्यक राशि राज्य शासन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। विभाग, योजना का क्रियान्वयन चिप्स के माध्यम से करेगा।

5.3 योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रदत्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदान करने का दायित्व चिप्स का होगा।

भौतिक लक्ष्य –

6.1 इस योजनांतर्गत भौतिक लक्ष्य निम्नानुसार है:–

चरण	प्राप्तकर्त्ता	संख्या	कुल
प्रथम	सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के आधार पर चिन्हित ग्रामीण परिवार (1000 जनसंख्या एवं 1000 से कम जनसंख्या वाले ऐसे सभी गांव जहां मोबाईल कवरेज पूर्ण या आंशिक रुप से उपलब्ध वाले ग्रामों के ग्रामीण परिवार)	40.1 लाख	50.8 लाख
	नगरीय विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई परिभाषा अनुसार चिन्हित शहरी गरीब परिवार	5.6 लाख	
	तकनीकी एवं गैर तकनीकी कालेज विद्यार्थी	5.1 लाख	
द्वितीय	वर्ष 2019–20 (1000 जनसंख्या वाले ग्रामो के ग्रामीण परिवार)	4.8 लाख	4.8 लाख
		योग	**55.6 लाख**

7. वित्तीय व्यवस्था –

7.1 <u>प्रथम चरण के लिए वार्षिक भौतिक और वित्तीय लक्ष्य</u> :

वितरण अवधि	स्मार्ट फोन की संख्या	वित्तीय लागत (करोड़ में)
वर्ष 2017–18 से 2018–19	**50.8 लाख**	**1128.00**

7.2 <u>द्वितीय चरण के लिए भौतिक और वित्तीय लक्ष्य</u> :

वितरण अवधि	स्मार्ट फोन की संख्या	वित्तीय लागत (करोड़ में)
वर्ष 3 (2019–20)	4.8 लाख	102.00
योग	**4.9 लाख**	**102.00**

8. योजना का क्रियान्वयन–

8.1 छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) योजना के लिए क्रियान्वयन एजेंसी होगी। मोबाईल फोन का वितरण जिला कलेक्टर द्वारा राशन दुकान, पंचायत भवन अथवा सुविधानुसार अन्य निश्चित स्थान से किया जाएगा।

8.2 जिला कलेक्टर, वितरण योजना तैयार करने के लिए जिम्मेदार होंगे और समय पर वितरण सुनिश्चित करेंगे।

8.3 हितग्राहियों का चयन ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, शहरी क्षेत्र में नगरीय प्रशासन विभाग तथा कॉलेज में युवाओं का चयन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा।

8.4 जनसंपर्क विभाग द्वारा स्मार्ट फोन पर उपलब्ध कराये जाने वाले कंटेन्ट तैयार कराये जाएंगे।

8.5 खरीद, वितरण, रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए चिप्स मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया (एसओपी) का विकास करेगा। जिला कलेक्टर एसओपी के अनुसार फोन वितरित करेंगे और वितरण की जानकारी के साथ हितग्राही का विवरण चिप्स को उपलब्ध करायेंगे।

8.6 हितग्राहियों की सूची www.chips.gov.in पर उपलब्ध कराई जायेगी।

8.7 मोबाइल आपूर्तिकर्ता के तकनीशियनों द्वारा मोबाईल मरम्मत/सेवा केन्द्र का संचालन एवं मोबाइल मरम्मत का प्रशिक्षण कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के माध्यम से किया जाएगा ।

8.8 योजना के क्रियान्वयन हेतु चिप्स द्वारा परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU) गठित की जायेगी।

8.9 योजना अंतर्गत टॉवर की स्थापना हेतु शासकीय भवनों की छत निःशुल्क उपयोग करने की अनुमति संबंधित विभाग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को प्रदान की जायेगी।

8.10 योजना अंतर्गत टॉवर की स्थापना हेतु राजस्व विभाग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को शासकीय भूमि का निःशुल्क आबंटन किया जाएगा ।

8.11 परियोजना अंतर्गत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को निःशुल्क राईट ऑफ वे (राष्ट्रीय राजमार्ग, वन एवं रेल्वे की भूमि छोड़कर) दिया जाएगा ।

9. उच्च अधिकार प्राप्त समिति की संरचना–

9.1 योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाएगा, जो इस प्रकार होगी:–

1	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2	अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
3	अतिरिक्त मुख्य सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	सदस्य
4	अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग	सदस्य
5	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
6	प्रमुख सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य
7	प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग	सदस्य
8	सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	सदस्य
9	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स	सदस्य सचिव
10	अध्यक्ष की अनुमति से आवश्यकतानुसार सदस्य बढ़ाए जा सकेंगे।	

9.2 उच्च अधिकार प्राप्त समिति के कार्य एवं दायित्व निम्नानुसार होंगे–

9.2.1 योजना के क्रियान्वयन के लिए विस्तृत दिशा–निर्देश प्रदान करना।

9.2.2 योजना के लिए वित्तीय प्रबंधन करना।

9.2.3 योजना के अंतर्गत चिन्हिंत हितग्राहियों के अलावा किसी अन्य वर्ग को शामिल करने का अधिकार उच्च अधिकार प्राप्त समिति को प्राप्त होगा।

9.2.4 हितग्राहियों के चयन हेतु अर्हता एवं वितरण योजना का आवश्यकता के अनुसार संशोधन करना।

9.2.5 योजना के क्रियान्वयन और प्रगति की समीक्षा करना।

9.2.6 अंतर्विभागीय समन्वय करना।

10. मॉनिटरिंग–

10.1 इस योजना की निगरानी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की जाएगी।

10.2 परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी के लिए चिप्स परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) स्थापित करेगी।

10.3 परियोजना प्रबंधन इकाई इस योजना के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और अनुश्रवण प्रारूप का विकास करेगा।

10.4 योजना के क्रियान्वयन, स्पष्टीकरण एवं कठिनाईयों के निराकरण हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश या संशोधन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग प्राधिकृत होगा ।

(संजय शुक्ला) 31/8/17
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

क्रमांक एफ 4–12/56/2017/इ.सू.प्रौ नया रायपुर, दिनांक– 31 अगस्त, 2017

प्रतिलिपि–

1. शासन के समस्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, की ओर सूचनार्थ।
2. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, विधानसभा रोड, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. कलेक्टर, छत्तीसगढ़ (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, राजनांदगांव, की ओर राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग